

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की भोपा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 पर स्थित ट्रांसपोर्टनगर योजना में ट्रांसपोर्ट, व्यावसायिक भूखण्डों की निविदा-सह-खुली नीलामी

नीलामी तिथि : दिनांक 19.07.2010 एवं दिनांक 26.07.2010

समय- निविदा डालने का समय प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक  
नीलामी का समय दोपहर 12.00 बजे से नीलामी समाप्ति तक

नीलामी स्थल- कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,  
1133 दक्षिणी सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर

क्र० सं०	सम्पत्ति का प्रकार	भूखण्ड / आरक्षण का विवरण	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्र (वर्गमी०)	आरक्षित दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर)	धरोहर राशि / टोकन मनी (रु० लाख में )
1	'ए'टाइप एजेन्सी भूखण्ड	02	250	10000 / -	2.50
2	वर्कशॉप भूखण्ड	01	180	10000 / -	1.80
3	सर्विस यार्डस भूखण्ड	01	180	10000 / -	1.80
4	व्यवसायिक भूखण्ड	04	903 से 950	10000 / -	9.50
5	व्यवसायिक भूखण्ड	06	718 से 770	10000 / -	7.70
6	व्यवसायिक भूखण्ड	01	512	10000 / -	5.12
7	व्यवसायिक भूखण्ड	02	810 से 838	10000 / -	8.38
8	होटल भूखण्ड	01	972	10000 / -	9.72
9	पेट्रोल पम्प भूखण्ड	01	1482	10000 / -	14.82
10	हॉस्पिटल / ट्रोमा सेन्टर	01	1481	10000 / -	14.81
11	धर्मकांटा भूखण्ड	01	225	10000 / -	2.25
12	शॉप भूखण्ड	06	15	10000 / -	0.15

विस्तृत नियम व शर्तें एवं आवेदन पत्र विवरण पुस्तिका में उपलब्ध है, जो कि रूपये 300/- का नकद भुगतान कर कार्यालय विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर से किसी भी कार्य दिवस में निविदा डालने के समय से पूर्व प्रातः 11.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ उक्तानुसार धरोहर राशि/टोकन मनी का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक/पे-आर्डर जो कि उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है तथा नीलामी में भाग लेने हेतु नियत समय से पूर्व उक्तानुसार धरोहर राशि/टोकन मनी आवेदन पत्र के साथ जमा कर टोकन प्राप्त करना होगा। उक्त भूखण्डों में शासनादेशानुसार आरक्षण देय है। विस्तृत विवरण/नियम एवं शर्तें प्राधिकरण की वेबसाइट [www.mdamzn.com](http://www.mdamzn.com) में अवलोकित कर प्राप्त की जा सकती हैं।

सम्पर्क फोन नं०-0131-2621922

उपाध्यक्ष

विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण  
की  
ट्रांसपोर्ट नगर योजना में  
ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक भूखण्डों की  
निविदा-सह-खुली नीलामी  
पद्धति से  
आवंटन हेतु नियम व शर्तों  
की

विवरण पुस्तिका

नीलामी तिथि :- दिनांक 19-7-2010 एवं दिनांक 26-7-2010

समय- निविदा डालने का समय प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक  
नीलामी का समय दोपहर 12.00 बजे से नीलामी समाप्ति

तक

नीलामी स्थल- कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,  
1133 दक्षिणी सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर

विवरण पुस्तिका का मूल्य रू0 300/-

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की भोपा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-58 पर स्थित ट्रांसपोर्टनगर योजना में ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक भूखण्डों की निविदा-सह-खुली नीलामी पद्धति से आवंटन हेतु  
नियम एवं शर्तें

1. प्राधिकरण की विज्ञापित सम्पत्तियाँ अर्जित हैं, भार रहित हैं एवम् विवाद रहित हैं।
2. ट्रांसपोर्ट, व्यवसायिक भूखण्डों का विवरण, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, धरोहर राशि का विवरण संलग्नक-1 में उल्लिखित है।
3. निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्रता-
  - (1) आवेदक भारत का नागरिक हो।
  - (2) आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।
  - (3) (अ) फर्म/साझेदारी फर्म/सोसायटी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(ब) प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (फर्म-सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(स) व्यक्तिगत स्वामी।  
(द) रजिस्टर्ड को-ओपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।  
(य) ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)  
(र) एच०यू०एफ०।  
(ल) पंजीकृत कर्पोरेशन (Consortium) फर्म।  
(व) अन्य (यदि उपरोक्त से भिन्न हो)।
- (4) निविदा-सह-नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय दिये गये घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।
- (5) आरक्षित श्रेणी के भूखण्ड हेतु सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। मोहरबन्द निविदायें "स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ" संलग्नक-2 में उल्लिखित तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये टैण्डर

बाक्स में डाली जायेंगी। मोहरबन्द निविदायें, निर्धारित प्रारूप पर जो कि संलग्नक-2 पर उपलब्ध है, पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कि संलग्नक-1 में उल्लिखित है, उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। कृपया आवेदक, नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप पर उल्लिखित आवेदन पत्र (संलग्नक-3) टैण्डर बॉक्स में न डाले।

4. नीलामी का आयोजन प्राधिकरण कार्यालय में संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि एवम् समय पर किया जायेगा। नीलामी में केवल निम्न व्यक्ति भाग ले सकते हैं—

- (1) जिन्होंने धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर / बैंकर्स चैक्स मूल रूप में स्वहस्ताक्षरित नियम शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र (संलग्नक-3) के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट / पे-आर्डर / बैंकर्स चैक्स की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
- (2) जिन्होंने मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की हैं, किन्तु सीधे नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित आवेदन-पत्र (संलग्नक-3) के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट / पे-आर्डर / बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करना होगा।
- (3) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने साथ मात्र एक व्यक्ति को लाने का अधिकार होगा।
- (4) यदि आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वह निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र स्वयं पूर्ण करके अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा-सह-खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं, जिसके लिये आवेदनकर्ता, फर्म / कम्पनी आदि द्वारा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में प्रोपर आथोराइजेशन किया जाना आवश्यक होगा और ऐसी दशा में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नीलामी समिति के समक्ष अपना आथोराइजेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (5) यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी रजिस्टर्ड को-ओपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कर्पोरेटिव फर्म एवम् एच0यू0एफ0 या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- (6) निविदा-सह-खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें प्रति वर्ग मीटर में दी जायेगी।
- (7) एक बार बोली बोलने के पश्चात उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार टेण्डर बॉक्स में अपनी निविदा डालने के पश्चात निविदा के माध्यम से दी गयी दर वापस नहीं ली जा सकेगी।
5. आवेदक जिस भूखण्ड हेतु निविदा, टेण्डर बॉक्स में डालेगा, वह उसी भूखण्ड पर बोली बोलने के लिये अधिकृत होगा। प्रत्येक भूखण्ड के लिये आवेदन विवरण पुस्तिका, धरोहर राशि के बैंकर्स चैक्स/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर, आवेदन पत्र पृथक-पृथक से प्रस्तुत करने होंगे।
6. नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा नीलामी समाप्त होने के उपरान्त मोहरबन्द निविदायें खोली जायेंगी एवं अपनी संस्तुति गुण-दोष के आधार पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जायेगी। उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को निविदा/बोली निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं। इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।
7. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का सूचना पत्र/आबंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से 07 दिन में मूल्य की शुद्ध 25 प्रतिशत धनराशि (जमा धरोहर राशि का समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में

जमा करनी होगी। तत्पश्चात सम्पत्ति का आबंटन पत्र/आबंटन-कम-किश्त पत्र जारी किया जायेगा तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि निम्नानुसार अदा की जायेगी-

- (अ) व्यवसायिक भूखण्ड की बकाया 75 प्रतिशत धनराशि 01 वर्ष की 04 समान त्रैमासिक किश्तों में 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित देय होगी।
- (ब) पहली किश्त आवंटन/स्वीकृति पत्र जारी होने के 03 माह के अन्दर देय होगी, जिसका आवंटन-कम-किश्त पत्र पृथक से प्रेषित किया जायेगा। देय किश्तें विलम्ब से भुगतान करने की दशा में विलम्ब अवधि का 18 प्रतिशत दण्ड ब्याज अतिरिक्त देय होगा।
- (स) आवंटन आफर पत्र जारी होने की दिनांक से एक माह की अवधि के अन्दर देय धनराशि की शत-प्रतिशत अदायगी करने पर 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

8. निविदा/नीलामी में आवेदकों की धरोहर राशि के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चैक/पे-आर्डर में से प्राधिकरण के लेखा अनुभाग द्वारा केवल उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण कोष में जमा की जायेगी तथा शेष आवेदकों की जमा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ पे-आर्डर उन्हें यथास्थिति वापस कर दिये जायेगे।
9. उच्चतम निविदा अथवा बोली का सूचना पत्र/आवंटन आफर पत्र जारी होने के उपरान्त 07 दिन की अवधि में जमा की जाने वाली उक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि निर्धारित समय पर जमा न होने की दशा में आवंटन आफर स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। यदि एक माह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता सम्पत्ति बहाल करने हेतु उपरोक्तानुसार 25 प्रतिशत धनराशि के साथ आवेदन करता है, तो सम्पत्ति नीलामी मूल्य के 1/2 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) के समतुल्य धनराशि बहाली शुल्क के रूप में अग्रिम जमा करनी होगी, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा।

10. भूखण्ड का आवंटन पत्र/किश्त पत्र जारी हो जाने के उपरान्त लगातार दो किश्तें जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर अवशेष धनराशि यदि शेष हो, तो वापिस कर दी जायेगी तथा भूखण्ड के निरस्तीकरण का सूचना पत्र प्रेषित हो जाने के एक माह के अन्दर यदि उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता निरस्त शुदा भूखण्ड को उक्तानुसार बहाली शुल्क के साथ बहाल नहीं कराता है, तो उसके पश्चात् किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
11. आवंटी से व्यवसायिक भूखण्ड के मूल्य का शत प्रतिशत धनराशि एवं 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड की धनराशि तथा दस्तावेज शुल्क आदि रूपये 500/- का भुगतान प्राप्त हो जाने एवं प्रचलित स्टाम्प ड्यूटी पर विक्रय विलेख का निबन्धन करने के पश्चात् कब्जा दिया जायेगा जिसके दिनांक से एक वर्ष की अवधि के अन्दर भवन का निर्माण करना होगा अन्यथा नियमानुसार अधिभार अदा करना होगा।
12. आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अंतिम सत्यापन में कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा। सम्बन्धित भूखण्ड के न्यूनतम मूल्य में कार्नर चार्ज, पार्क फेसिंग एवं सडक चार्जेज (यथा लागू) सम्मिलित नहीं है। आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड कार्नर, पार्क फेसिंग व 18 मीटर एवम इससे अधिक चौड़े रोड पर स्थित होने पर भूमि के मूल्य का नियमानुसार अतिरिक्त लोकेशन चार्जेज देय होगा।
13. फ्रीहोल्ड चार्ज (कीमत+लोकेशन चार्ज) का 12 प्रतिशत लिया जायेगा, जो कि रजिस्ट्री के समय देय होगा।
14. आवंटित परिसम्पत्ति की पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त आवंटी को देय स्टाम्प ड्यूटी वहन करके 06 माह में परिसम्पत्ति की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।

15. परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिए ही प्रयोग किया जायेगा अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा प्राधिकरण परिसम्पत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेगा।
16. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारम्भ से पूर्व उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा- 15 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। भूखण्ड पर निर्माण अध्यावधिक शासनादेशों एवं प्रचलित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में उल्लिखित शर्तों, प्रतिबन्धों एवं उप नियमों के अनुसार ही अनुमत्य किया जायेगा। व्यावसायिक भवन का मानचित्र "काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर" से पंजीकृत वास्तुविद्, स्ट्रक्चरल इन्जीनियर, पंजीकृत नगर नियोजक तथा आवंटी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। तीन मंजिल से अधिक ऊँचाई के भवनों के निर्माण में भूकम्परोधी प्राविधान किये जाने एवं उनके स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में किसी मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इन्जीनियर का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जायेगा। आवंटी द्वारा उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अध्यादेश, 2003 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा नियमानुसार अग्निशमन विभाग की अनापत्ति भी संलग्न करनी होगी एवं शासन की नीति के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग एवं सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।
17. आवंटी परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं सांझी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
18. परिसम्पत्ति का आवंटन "जहां है जैसा है" पद्धति पर किया जायेगा।
19. मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर द्वारा जिन व्ययसायिक भूखण्डों के निस्तारण हेतु निविदा-सह-खुली नीलामी का आयोजन किया जा रहा है, उनके सम्मुख यदि विकास कार्य होने शेष हैं, वे नीलामी स्वीकृति के 06 माह की अवधि के अन्दर पूर्ण कर लिये जायेंगे।
20. अन्य शर्तें :-

- (1) उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- (2) प्राधिकरण की ट्रांसपोर्ट नगर योजना की अर्जित भूमि पर भविष्य में यदि सक्षम न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 18 व अन्य धाराओं में प्रतिकर की धनराशि बढ़ायी जाती है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिकर राशि उपरोक्तानुसार बढ़ाने के पश्चात भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (यथा संशोधित) की धारा 28ए के तहत कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित अधिसूचना से सम्बद्ध अन्य कृषको की भूमि दर बढ़ाये जाने की स्थिति में उपरोक्त व्यवसायिक भूखण्ड की भूमि का मूल्य बढ़ता है, तो वह उच्चतम निविदा/नीलामी दाता/आवंटी द्वारा देय होगा और अदा न करने की स्थिति में समस्त बकाया एवं देय धनराशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में उच्चतम निविदा/ नीलामीदाता /आवंटी से वसूल की जायेगी। अतः उक्त देय इस सम्पत्ति पर पहला चार्ज होगा।
- (3) नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलामी की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।
- (4) आवंटित सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त वाद विवाद मुजफ्फरनगर स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकारी में होंगे।
- (5) प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति की आरक्षित दर संलग्नक-1 में उल्लिखित है।
- (6) यदि किसी कारणवश आवंटित परिसम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण देने में असमर्थ होता है, तो आवंटि से प्राप्त धनराशि बिना ब्याज, बिना कटौती के वापस कर दी जायेगी।
- (7) भूखण्ड के लिए भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 आदि बिल्डिंग बाईलाज/शासनादेशनुसार अनुमन्य होगा।
- (8) किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर का निर्णय अंतिम होगा। उपाध्यक्ष को अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त / नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली /निविदादाता/ आवंटि को मान्य होगा।
- (9) रिपेयर शॉप, सर्विस गैराज, वर्कशॉप व क्योस्क का निर्माण प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त स्टैंडर्ड डिजाईन के अनुसार करना होगा।

- (10) पेट्रोल पम्प के भूखण्ड हेतु वही व्यक्ति/फर्म नीलामी में भाग ले सकती है, जिनके पास पेट्रोलियम कम्पनी का लेटर ऑफ इन्डेन्ट निर्गत हो।

**उपाध्यक्ष**

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण

मुजफ्फरनगर।

**निविदादाता/नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की और से घोषणा –**

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त नियम एवम् शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है, जो मुझे मान्य हैं।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

नाम :

पिता का नाम :

पता :

फोन न०— :

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की भोपा रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-58 पर स्थित ट्रांसपोर्टनगर योजना में ट्रांसपोर्ट, व्यावसायिक भूखण्डों की निविदा-सह-खुली नीलामी हेतु सम्पत्तियों का विवरण

नीलामी तिथि :- दिनांक 19.7.2010 एवं दिनांक 26.7.2010

समय- निविदा डालने का समय प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

नीलामी का समय दोपहर 12.00 बजे से नीलामी समाप्ति तक

नीलामी स्थल- कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,  
1133 दक्षिणी सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर

क्र0सं0	सम्पत्ति का प्रकार	भूखण्ड / आरक्षण का विवरण	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्र(वर्गमी0)	आरक्षित दर (रूपये प्रति वर्ग मीटर)	धरोहर राशि / टोकन मनी (रू0 लाख में)
1	'ए' टाइप एजेन्सी भूखण्ड	ए-7, ए-9 अनु0जाति-(ए-09) अन्य पिछडा वर्ग-(ए-07)	250	10000 /	2.50
2	वर्कशॉप भूखण्ड	बी-17 अनु0जाति-(बी-17)	180	10000 /	1.80
3	सर्विस यार्डस भूखण्ड	बी-13 (सामान्य)	180	10000 /	1.80
4	व्यवसायिक भूखण्ड	सीपी-1, सीपी-15, सीपी-16, सीपी-17 अनु0जाति-(सीपी-16) अन्य पिछडा वर्ग-(सीपी-15) विधायक, सांसद व स्व0संग्राम सेनानी -(सीपी-01) सामान्य वर्ग-(सीपी-17)	903 से 950	10000 / -	9.50
5	व्यवसायिक भूखण्ड	सीपी-6, सीपी-7, सीपी-8, सीपी-9, सीपी-10, सीपी-11 अनु0जाति-(सीपी-09) अन्य पिछडा वर्ग-(सीपी-06,11) सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी-(सीपी-07) सामान्य वर्ग-(सीपी-08,10,)	718 से 770	10000 / -	7.70
6	व्यवसायिक भूखण्ड	सीपी-2, (सामान्य)	512	10000 /	5.12
7	व्यवसायिक भूखण्ड	सीपी-5, सीपी-12 अन्य पिछडा वर्ग-(सीपी-05) सामान्य वर्ग-(सीपी-12),	810 से 838	10000 / -	8.38
8	होटल भूखण्ड	सीपी-3 (सामान्य)	972	10000 /	9.72
9	पेट्रोल पम्प भूखण्ड	सीपी-4 (एल0ओ0आई0)	1482	10000 /	14.82
10	हॉस्पिटल / ट्रोमा सेन्टर	एच-1(सामान्य)	1481	10000 / -	14.81
11	धर्मकांटा भूखण्ड	डब्ल्यू-1 (सामान्य)	225	10000 / -	2.25
12	शॉप भूखण्ड	एस-4, एस-13, एस-16, एस-26, एस-12, एस-24, अनु0जाति-(एस-04,13,16) अनु0 जनजाति-(एस-26) विधायक, सांसद व स्वत0 संग्राम सेनानी-(एस-12) आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण अन्य संस्थान-(एस-24)	15	10000 / -	0.15

**नोट-** निविदा-सह-खुली नीलामी हेतु प्रस्तावित उक्त सम्पत्ति में से दिनांक 19.7.2010 को प्राप्त जिन उच्चतम निविदा/नीलामी को प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा, उसके उपरान्त अवशेष सम्पत्तियों की निविदा-सह-खुली नीलामी दिनांक 26.7.2010 को की जायेगी।

क्रमांक.....

संलग्नक-2

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

निविदा पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

निविदा तिथि:—संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

निविदायें डालने का समय:— पूर्वान्ह 11.00 बजे से 12.00 बजे तक

स्थान:— कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

योजना का नाम:— ट्रांसपोर्ट नगर योजना भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

(निविदा डालने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. निविदा किस सम्पत्ति के लिये है:—

(अ) भूखण्ड सं०.....(ब) सम्पत्ति का उपयोग/प्रकार—.....

(स) क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर

2. निविदादाता का नाम(हिन्दी में).....

(अंग्रेजी में).....

3. निविदादाता के पिता/पति का नाम श्री.....

4. निविदादाता की आयु.....वर्ष, लिंग.....वैवाहिक स्तर.....

5. पता.....

फोन सं०(निवास)..... (कार्यालय)..... .व मोबाईल सं०.....

6. यदि भूखण्ड आरक्षित श्रेणी का है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।.....

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो निविदादाता सहित उनके नाम, पतों का पूरा विवरण—

**नोट:** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

क्र०सं०

नाम

पता

व्यवसाय

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी, साझेदारी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्पोरेशन फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.....

(क) नाम.....

पत्र व्यवहार का पता:-.....

फोन सं०(निवास).....(कार्यालय).....व मोबाईल सं०.....

स्थायी पता.....

.....फोन सं० (निवास).....(कार्यालय).....व मोबाईल सं०.....

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष (जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है).....

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.....

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पते:-.....

व्यवसाय:-.....

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. निविदादाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम.....

.....10

धरोहर धनराशि का विवरण-बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक्स/पे-आर्डर संख्या.....जमा

धनराशि अंकन रूपये.....जारीकर्ता बैंक का नाम.....

11. निविदादाता द्वारा आवेदित भूखण्ड के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये...

.....प्रति वर्ग मीटर।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तों का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया गया है। सभी शर्तें निविदादाता को मान्य हैं।

आवेदन की तिथि.....

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्रमांक.....

संलग्नक-3

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

नीलामी (बोली) पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

नीलामी तिथि:—संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि के अनुसार

नीलामी का समय:— मध्याह्न 12 बजे से नीलामी समाप्ति तक

स्थान:— कार्यालय मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।

योजना का नाम: — ट्रांसपोर्ट नगर योजना, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर।

(नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो)

1. नीलामी किस सम्पत्ति के लिये है:—

(अ) भूखण्ड सं०.....(ब) सम्पत्ति का उपयोग/प्रकार—.....

(स) क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर

2. बोलीदाता का नाम(हिन्दी में).....

(अंग्रेजी में).....

3. बोलीदाता के पिता/पति का नाम श्री.....

4. बोलीदाता की आयु.....वर्ष, लिंग.....वैवाहिक स्तर.....

5. पता.....

.....फोन

सं०(निवास).....(कार्यालय).....व मोबाईल सं०.....

6. यदि भूखण्ड आरक्षित श्रेणी का है, तो सम्बन्धित श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।.....

7. यदि आवेदन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया हो तो बोलीदाता सहित उनके नाम पतों का पूरा विवरण

**नोट:** स्थान कम होने पर अलग से विवरण संलग्न करें।

क्र०सं०

नाम

पता

व्यवसाय

8. यदि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी,पब्लिक लिमिटेड कम्पनी,व्यक्तिगत स्वामी,साझेदारी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी,पंजीकृत कर्पोरेशन फर्म,ट्रस्ट एवम् अन्य यदि उपरोक्त से भिन्न हो तो उल्लेख करें.....

(क)नाम.....

पत्र व्यवहार का पता:-.....

फोन सं०(निवास).....(कार्यालय).....व मोबाईल सं०.....

स्थायी पता.....

.....फोन सं०(निवास).....(कार्यालय).....व मोबाईल सं०.....

(ख)पंजीकरण संख्या व वर्ष(जिस वर्ष में संस्था पंजीकृत हुई है).....

नवीनीकरण कब तक की अवधि के लिये है.....

(ग)प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम व पते:-.....

व्यवसाय:-.....

(कृपया प्रबन्धकारिणी सदस्यों के पूर्ण विवरण सहित सूची अलग से संलग्न करें)

9. बोलीदाता का बैंक में खाता संख्या व बैंक का पूरा नाम..... 10.

धरोहर धनराशि का विवरण-बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आर्डर संख्या.....जमा

धनराशि अंकन रूपये.....जारीकर्ता बैंक का नाम.....

11. बोलीदाता द्वारा आवेदित भूखण्ड के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर रूपये.....

.....प्रति वर्ग मीटर।

प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तों का बोलीदाता ने अध्ययन कर लिया गया है सभी शर्तें जो बोलीदाता को मान्य हैं।

आवेदन की तिथि.....

बोलीदाता के हस्ताक्षर

